

सं. 10/न4-12/2002 शि०-108

सेकेन्डी, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग, विहार

प्रेषक

श्री एम० दास  
विशेष निदेशक (मा० शि०) ।

सेवा में,

सचिव,  
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डी एजुकेशन,  
शिक्षा केन्द्र, कम्युनिटी सेन्टर, प्रीत विहार,  
विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक 28-2-04

विषय:- राज्य के निजी विद्यालयों को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डी एजुकेशन,  
नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमन करने के  
संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए  
कहना है कि दिनांक 30.12.2003 को निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र  
निर्गमन किए जाने के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से जिस नए  
निर्णय के आलोक में निम्नलिखित विद्यालयों को सी०वी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्ध  
सम्बद्धता/मान्यता इस शर्त के साथ निर्गमन करने का निर्णय लिया गया कि उन्हें  
सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार के विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर  
कर्मियों के समकक्ष वेतनादि का भुगतान विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को  
करना होगा :-

11. शाताब्दी पब्लिक स्कूल, कटारी हिल रोड, गया
12. ए०ए०एम० चिल्ड्रेन्स स्कूल, कटिहार
13. ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, महादेवगंज, केन्द्र हरिया, गया
14. तौहीद स्कूल, तौहीदनगर, पश्चिम पाती, किसानगंज
15. न्यू एफ पब्लिक स्कूल, छोटी राजवस्ती, पीपलपाती रोड, मुंगेर
16. डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल, सिहरी, रोहतास
17. डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल, शोरवादी, गया
18. एस०आर०डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल, पूर्णिया
19. सीताराम डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल, सीतामढ़ी
10. कमला नेहरु शिक्षा विहार उच्च विद्यालय, तटाकत आश्रम, पटना
11. माँ मैत्रायिणी योगिनी सेकेन्डी स्कूल, मुण्डी, भोजपुर, आरा

(पो०टी०आ०)

President

AAM Children's Academy  
Katihar



12. स्कूल ऑफ किण्टिव तनिंग, नरगटा, डानापुर, पटना

2- इसकी सूचना संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को दी जा रही है।

3- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वनाथभाजन,

समो दासः

विशेष निदेशक माध्यमिक शिक्षा।

आपके 108 पटना, दिनांक 28-2-04

प्रतिलिपि संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप-निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

2. शैक्षिक गुणावत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिबंधक एक बार विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा।

3. निम्नलिखित परिस्थितियों में विद्यालय को निम्न अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त/वापस लेने की कार्यवाही लेकर द्वारा की जा सकती है:-

क। विद्यालय द्वारा विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों को राज्य सरकार के विद्यालय के कर्मियों के समकक्ष वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है अथवा भुगतान करने में अधिक अविश्वस्य किया जा रहा है।

ख। अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए सशर्तित कागजात एवं अभिलेख जमा पाये जाने अथवा वस्तुस्थिति में भिन्न होने पर,

ग। विद्यालय में वित्तीय अनियमितता की जा रही हो अथवा शिक्षकों के लिए राशि की व्यवस्था हो उसका दूसरे मद में व्यय किया जा रहा हो।

घ। विद्यालय ऐसी गतिविधि में तंतग्न हो जो राज्य के हित एवं राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमों के विरुद्ध हो एवं ऐसी कार्रवाई की जा रही हो, जिससे समाज के विभिन्न सौतापटों के बीच कड़ुता पैदा हो,

च। सी०वी०एस०ई० मापदंड के अनुसार भवनों में सी०वी०एस०ई० मापदंड के अनुसार छात्रों की संख्या निर्धारित नहीं किए जाने पर।

समो दासः

विशेष निदेशक माध्यमिक शिक्षा

आपके 108 पटना, दिनांक 28-2-04

प्रतिलिपि सचिव/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, विहार को सूचना प्रेषित।

विशेष निदेशक मा० शिक्षा

आपके 108 पटना, दिनांक 28-2-04

प्रतिलिपि माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, माध्यमिक शिक्षा, विहार, पटना को सूचना प्रेषित।

विशेष निदेशक मा० शिक्षा